



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4
संख्या-12/2026/228-22-4-2026-2017847
लखनऊ: दिनांक 23 फरवरी, 2026

शुद्धि-पत्र/संशोधन

कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-4208/नम-1,2,3/(02)/का0यो0/2025-26, दिनांक 12.02.2026 द्वारा शासनादेश संख्या-02/2026-54-22-4-2026-2017847 दिनांक 11.02.2026 के तालिका के क्रमांक-24 पर जिला कारागार हरदोई में कारागार के समस्त गंदा पानी की निकासी हेतु महिला बैरक गैलरी से मेनवॉल पोस्ट 8 तक 02 फिट चौड़ी पक्की नाली (लगभग 150 मी०) के निर्माण कार्य के स्थान पर जिला कारागार हरदोई में कारागार के समस्त गंदा पानी की निकासी हेतु महिला बैरक गैलरी से मेनवॉल पोस्ट 6 तक 02 फिट चौड़ी पक्की नाली (लगभग 150 मी०) का निर्माण कार्य अंकित कराने सम्बन्धी संशोधन जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में कारागार मुख्यालय के उक्त पत्र दिनांक 12.02.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासनादेश दिनांक 11.02.2026 के तालिका के क्रमांक-24 पर जिला कारागार हरदोई में कारागार के समस्त गंदा पानी की निकासी हेतु महिला बैरक गैलरी से मेनवॉल पोस्ट 8 तक 02 फिट चौड़ी पक्की नाली (लगभग 150 मी०) के निर्माण कार्य के स्थान पर जिला कारागार हरदोई में कारागार के समस्त गंदा पानी की निकासी हेतु महिला बैरक गैलरी से मेनवॉल पोस्ट 6 तक 02 फिट चौड़ी पक्की नाली (लगभग 150 मी०) का निर्माण कार्य संशोधित किया जाता है:-

क्र०	कारागार का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	लागत की धनराशि (रु० लाख में)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रु० लाख में)
1	2	3	4	5	6
24	जिला कारागार हरदोई	कारागार के समस्त गंदा पानी की निकासी हेतु महिला बैरक गैलरी से मेनवॉल पोस्ट 6 तक 02 फिट चौड़ी पक्की नाली (लगभग 150 मी०) का निर्माण कार्य	उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (पैक्सफेड)	8.36	8.36

3- शासनादेश संख्या-02/2026-54-22-4-2026-2017847 दिनांक 11.02.2026 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
उक्त शासनादेश दिनांक 11.02.2026 के शेष शर्तें/विवरण यथावत रहेंगे।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2026/228-22-4-2026-2017847, तदिनांकित ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- (1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- (4) प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०(पैक्सफेड)
- (5) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- (6) सम्बन्धित वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार।
- (7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (8) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (9) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
- (10) निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन।
- (11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2
- (12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।